2

भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संस्थान विस्तार केन्द्र
(पूर्व लघु उद्योग सेवा संस्थान विस्तार केन्द्र)
कॅनाट सर्कस, नई दिल्ली–110 001

फोन न. 23411950
फैक्स न. 23414364

संख्याः एस आई एस आई/ई सी/एस/4/2006 –07

" निविदा सूचना "

सर्व संबंधित को सूचित किया जाता है कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संस्थान, विस्तार केन्द्र कनॉट सर्कस, नई दिल्ली की अनुपयोगी सामग्री एवं स्थापित मशीनों के विक्रय हेतु निविदा प्रणाली के अनुसार विधिवत रूप से **"मुहर बन्द निविदा"** आमंत्रित की जाती है (लिफाफे पर अनुपयोगी सामग्री एवं स्थापित मशीनों के लिए निविदा लॉट न. 2 (दो) लिखा होना चाहिए)। लॉट न. 2 (दो) के लिए निर्धारित निविदा फार्म 200/– रुपये (दो सौ रूपए मात्र) नकद अदा करके श्री बी.एम.सक्सैना सहायक निदेशक (इलैक्ट्रीकल) से दिनांक 20 अगस्त, 2007 से 23 अगस्त, 2007 के दौरान प्रातः 10.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक प्राप्त किये जा सकते है।

संगठन का नामः– एम.एस.एम.ई., विकास संस्थान, विस्तार केन्द्र, (पूर्व लघु उद्योग सेवा सस्थान, विस्तार केन्द्र) कनॉट सर्कस, नई दिल्ली।

निविदा संदर्भः एस आई एस आई/ई सी/एस/4/2006 –07

निविदाः अनुपयोगी सामग्री एवं स्थापित मशीनों लॉट नं.2(दो)।

निविदा की ऑफर निर्धारित निविदा फार्म में भर कर धरोहर राशि के रूप में 10,000/– रूपए (दस हजार रूपए मात्र) के डिमान्ड ड्राफ्ट (उपनिदेशक, एम.एस.एम.ई. विकास संस्थान, विस्तार केन्द्र, नई दिल्ली के नाम देय) के साथ जमा करवाना होगा।

निविदा जमा करने का स्थानः– उप निदेशक प्रभारी एम.एस.एम.ई, विकास संस्थान, विस्तार केन्द्र, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली में स्थापित लॉट न. 2 (दो) के ड्राप बॉक्स में जमा करनी होगी।

निविदा का प्रकारः– समेकित रुप में समस्त सामग्री एवं मशीनों का एक ही लॉट में आकलन कर निविदा ऑफर करें, अन्यथा फुटकर रूप में दी गई निविदा को निरस्त कर दिया जाएगा।

निविदा सामग्री का अवलोकन दिनांक 27 अगस्त, 2007 से 30 अगस्त 2007 तक प्रातः 10 बजे से सायं 4.00 बजे तक **"जो जहां है, जैसी स्थिति में है"** के आधार पर किया जा सकता है।

स्थलः– एम.एस.एम.ई, विकास संस्थान, विस्तार केन्द्र, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली का भूतल व प्रथम तल। इच्छुक अवलोकनकर्ता उपनिदेशक प्रभारी के रजिस्टर में अपनी प्रविष्टि करने के उपरान्त ही निविदा सामग्री का अवलोकन करने के पात्र होगें।

निविदा जमा करने की अंतिम तिथिः– 31 अगस्त, 2007 को अपराहन 2.00 बजे तक।

निविदा खोलने की तिथि, समय व स्थानः– 31 अगस्त, 2007 को अपराहन 3.30 बजे उपनिदेशक प्रभारी के कक्ष में।

कार्य पूर्ण करने की अवधि :– निविदाकर्ता निविदा खुलने के समय उपस्थित होंगे। इस आशय की सूचना अलग से नहीं दी जाएगी। सफल निविदाकर्ता को निविदा की पूरी राशि जमा करवाकर (धरोहर राशि का समावेश कर) समस्त सामग्री व स्थापित मशीनों का अपने खर्च पर फर्श से उखाड़ कर दिनांक 06 सितम्बर के सायं 4.00 बजे से पहले एम. एस. एम. ई, विकास संस्थान, विस्तार केन्द्र, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली के प्रांगण के बाहर ले जाना होगा, अन्यथा सफल निविदाकर्ता की सामग्री जब्त कर ली जाएगी। मशीनरी के साथ कोई केबिल या मेनस्विच इत्यादि नहीं दिया जाएगा। निर्धारित समय सीमा के बाद प्रांगण मे रखी या छूटी हुई सामग्री जब्त समझी जाएगी। सफल निविदाकर्ता को व्यक्तिगत रुप में सामग्री उठाते समय अपनी प्रविष्टि रजिस्टर में दर्ज करनी होगी या सफल निविदाकर्ता को अपने अधिकृत प्रतिनिधि को पहचान पत्र के साथ लिखित रुप मे प्राधिकृत करना होगा।

निविदा की अन्य शर्ते निम्नानुसार रहेगीः–(1) निविदा समेकित संपूर्ण सामग्री को एक ही लॉट में निस्तारण के लिए मान्य होगी व अलग–अलग मशीनों व फुटकर सामग्री को रूप में उठाने पर अमान्य कर दी जाएंगी।**(2)**जिस व्यक्ति/फर्म की निविदा अधिकतम मूल्य की व बिना किसी शर्त के होगी, वे ही स्वीकृत होगी, तथा सभी सशर्त निविदाएं निरस्त कर दी जाएंगी।**(3)**स्वीकृत व्यक्ति/फर्म को निविदा की समस्त राशि (धरोहर राशि को समावेश कर) निविदा स्वीकृत होने पर दिनांक 05 सितम्बर 2007 को सायं 5.00 बजे तक नकद या ड्राफ्ट के रूप में जमा करने के उपरांत ही सामान उठाने की इजाजत दी जाएगी।**(4)**निविदा, निविदाकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित होनी चाहिए, अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जाएगी।**(5)**निविदा की राशि पर नियमानुसार लागू VAT जमा करना होगा (यदि लागू हो)।**(6)**उक्त विवरण संस्थान की वैबसाइटः www.sisi.newdelhi.com पर भी उपलब्ध है।**(7)**निस्तारण के संबंध में निदेशक, एम. एस. एम. ई., विकास संस्थान, ओखला, नई दिल्ली का निर्णय सर्वमान्य होगा।**(8)**उपरोक्त निस्तारण के किसी भी विवाद का न्यायिक क्षेत्र दिल्ली होगा।**(9)**निदेशक, एम. एस. एम. ई. विकास संस्थान, ओखला, नई दिल्ली के अधीन प्राप्त हुई निविदाओं में से किसी एक को या सभी को, बिना कोई कारण बताए निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

(एस. के. अग्रवाल)
उप निदेशक प्रभारी